न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 55/2016 (राजसमन्द डिकी)

1. परेश सोनी पिता श्री नवनीत कुमार सोनी, निवासी नानी जी का बाग नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. संजय सिंघवी पिता श्री धर्मचन्द्र सिंघवी, निवासी तहसील रोड़ नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राज कुंवर पिता श्री गिरवर सिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम कोटेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गेंदा कुंवर पिता श्री गिरवर सिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम कोटेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. कमल सिंह पिता श्री गिरवर सिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम कोटेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. प्रेम कुंवर बेवा श्री गिरवर सिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम कोटेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. दुर्गा कुंवर बेवा श्री गिरवर सिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम कोटेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राधा कुंवर पिता श्री गिरवर सिंह जी राजपूत, निवासी ग्राम कोटेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. उप पंजीयक, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 11.02.2015, प्र॰सं॰ 126/2011

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1. श्री प्रदीप कुमार पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अर्पित पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. 1 व 2
3. श्री सी. एस. वर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 11—12—2017</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मृतक डूंगरसिंह तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 के विरूद्ध घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 11 रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, जिसमें मूल पुरूष गिरवरसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2, तीन पुत्रियां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 तथा दो पत्नियां प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हैं। उक्त आराजियात में से आराजी नंबर 754 व 780 कुल रकबा 42 बीघा 7 बिस्वा में से 30 बीघा भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सहमति से विक्रय की गयी थी, जिसके आराजी नंबर 754/1 रकबा 25 बीघा 16½ बिस्वा व 780/1 रकबा 4 बीघा 3½ बिस्वा होकर उक्त भूमियों का कब्जा क्रेता को सिपुर्द कर दिया गया एवं अवशिष्ट कृषि भूमि रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का विरासत अनुसार प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा निहित है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम के नाम ही दर्ज हैं, जिससे उनके मन में लालच आ जाने से वादीगण की बिना सहमति के उक्त भूमियां विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतएवं उक्त अवशिष्ट भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 में मध्य विभाजन कराया जाकर प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा होना स्वीकार किया तथा विक्रय 1/7 हिस्से तक का करने को पूर्व सहमति होने का भी लिखित कथन पेश किया तथा स्थाई निषेधाज्ञा से मना करते हुए शेष दावे बाबत् व्यक्त/अव्यक्त सहमति दी।

प्रकरण में वादीगण की ओर से आवेदव प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष को प्रत्याहरित करने का निवेदन किया। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09—12—20014 को अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रो करने की सहमति दिये जाने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणा एवं विभाजन कराने हेतु सहमत होने का अंकन करते हुए पत्रावली दिनांक 21—01—2015 को पेश करने का अंकन है। दिनांक 21—01—2015 को पत्रावली दिनांक 11—02—2015 को आदेश के लिए नियत की गयी तथा दिनांक 11—02—2015 को वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री करते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 प्रत्येक को 1/5 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रेम कुंवर व दुर्गा कुंवर बेवा गिरवरसिंह को संयुक्त रूप से 1/5 अर्थात उक्त दोनों प्रत्येक को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित कर बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में उक्त कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 25—03—2015 को अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दफा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों में से कमलसिंह, डूंगरसिंह, प्रेमकुंवर व दुर्गाकंवर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर राजस्व रेकार्ड में भी प्रार्थीगण का विक्रय अनुसार अंकन होकर कब्जा काश्त है। विक्रेताओं द्वारा विक्रय वादीगण की भूमियों को छोड़ते हुए किया गय है। प्रार्थीगण की क्रय शुदा भूमि के अतिरिक्त जो अवशिष्ट भूमि है का विभाजन कर प्रार्थीगण के हिस्से को भी विभाजन किया जाकर इसी अनुरूप डिक्री की पालना किये जाने पर प्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। विक्रेता अपने विक्रय पत्रों को बाध्य हैं।

उक्त आवेदन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिक्रीदार द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय जो रेकार्ड में दर्ज खातेदार थे उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वाद के लम्बन के दौरान यदि किसी प्रकार का अन्तरण किया गया है तो ऐसा अन्तरण धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 से प्रभावित होकर शून्य है। अजनवी व्यक्ति द्वारा वादीगण का हिस्सा 1/7 गलत बताया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का

1/5 हिस्सा निर्धारित किया है। अजनवी व्यक्ति दादागिरी से डिक्रीदार का हिस्सा कम होना कह रहा है, जो माननीय न्यायालय की अवमानना का विषय है। दौराने वाद जो भी क्रय किया गया है उसकी विधिक मान्यता नहीं है। आवेदन अजनवी व्यक्ति ह तथा धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत उसका कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 06–09–2016 से उक्त आवेदन खारिज कर दिया।

अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11–02–2015 से रूष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–10–2016 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11–02–2015 की जानकारी राजस्व अधिकारी से पूछताछ करने पर होते ही नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। जानकारी के बाद एक भी दिन का विलम्ब नहीं किया गया है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–03–2015 को धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसपर निर्णय दिनांक 06–09–2016 को हुआ। इसलिए अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 25–03–2015 से पूर्व ही उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11–02–2015 की जानकारी थी। दिनांक 06–09–2016 को इनका आवदेन खारिज होने के बाद रिवीजन के अतिरिक्त कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी आप न्यायालय में करीब 18 माह बाद यह अपील प्रस्तुत की है, जो अवधि बाधित है। अपीलान्ट ने विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग किया है तथा न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से दिनांक 06–09–2016 के आदेश का रिवीजन नहीं कर यह अपील प्रस्तुत की है, जो अवधि बाधित होने से निरस्त किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा भी उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब पेश किया गया एवं निवेदन किया कि राजस्व अधिकारी द्वारा वाद प्रस्तुत होने या लम्बित होने की जानकारी नहीं दी जाती तथा

स्वयं अपीलान्ट के कथनानुसार उसे दिनांक 25–03–2015 को प्रारम्भिक डिक्री की नकल प्राप्त हो चुकी थे तो फिर लगभग 2 वर्ष के विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं है। प्रार्थी विलम्ब माफी का अधिकारी नहीं है।

→ हमारे द्वारा रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि यह न्यायालय प्रारम्भिक डिक्री की अपील सुनने को सक्षम है। अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रारम्भिक डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं कर पुनः दफा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–03–2015 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 06–09–2016 को खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11–02–2015 के विरूद्ध बावजूद जानकारी के जिसकी अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा 10–04–2015 है, तक प्रस्तुत नहीं कर करीब 18 माह विलम्ब से दिनांक 03–10–2016 को यह अपील प्रस्तुत की है, जबकि उसके द्वारा दिनांक 25–03–2016 को दफा 151 जा.दी. का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है अर्थात उसे दिनांक 25–03–2016 को तो इस प्रकरण की जानकारी थी, फिर भी अपील दिनांक 03–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25–03–2015 को दफा 151 जा. दी. का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह दिनांमक 06–09–2016 को खारिज हो चुका है, जिसका एक मात्र विधिक उपचार राजस्व मण्डल में रिवीजन करना था। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है, जिनका निराकरण होकर उसकी आपत्ति खारिज हो जाने के बाद अब वह अपील प्रस्तुत करता है तो उसके स्वेच्छा पूर्वक प्रस्तुत आवेदन में जो समय लगा है उसका खामियाजा रेस्पोन्डेन्ट को नहीं दिया जा सकता। अपीलान्ट जब अधिनस्थ न्यायालय में आपत्तियां प्रस्तुत कर उनका निराकरण चाहता है तो अब उसकी आपत्तियां खारिज हो जाने के बाद उसके लिए एक मात्र विधि उपचार राजस्व मण्डल में रिवीजन किया जाना है। हम अपीलान्ट को यह दोहरा फायदा नहीं दे सकते कि वह रेस्पोन्डेन्ट को उसके वाद में अधिनस्थ न्यायालय में ही वादकरण में 18 माह तक उलझाये रखे तथा अधिनस्थ न्यायालय में उसके निष्फल हो जाने के बाद उसके विधिक उपचार की जगर अब प्रारम्भिक डिक्री की अपील हेतु वह मयाद अधिनस्थ न्यायालय में अपने आवेदन के निस्तारण से माने। अपीलान्ट

को किसी भी सूरत में ऐसा दोहरा फायदा दिया जाना रेस्पोन्डेन्ट के हितों के विरूद्ध एवं अविधिक होगा। तद्नुसार हम इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अधिनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से उसे प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी होना मानते हैं तथा उसके 18 माह बाद प्रस्तुत अपील को मयाद में कण्डोन किये जाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। अपीलान्ट को विधिक उपचार माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन किया जाना है, जिसके लिए व स्वतंत्र है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11—02—2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11—12—2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास .... **एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

परेश सोनी पिता नवनीव कुमार सोनी निवासी नानी जी का बाग, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्

बनाम

राजकुंवर पिता गिरवरसिंह राजपूत नि0 ग्राम कोटेला, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰...........**55/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**नाथद्वारा**....... मुकाम................मुवर्खे.............**11**...............माह..............**02**............**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**11**......माह........**12**.......सन् **2017** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री प्रदीप कुमार पुरोहित**.....मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री अर्पित पालीवाल** ....

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**11**......माह.......**12**...........**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।